न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल,**

अध्यक्ष

अपील प्रकरण कमांक 2550–पीबीआर/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 12–5–15 पारित द्वारा आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद प्रकरण कमांक 249/अपील/2013–14.

संतोष यादव आत्मज बलराम यादव
निवासी ग्राम रोलगांव
तहसील व जिला हरदा .....अपीलार्थी

विरूद्ध

म0प्र0 शासन .....प्रत्यर्थी

श्री डी0डी0 मेघानी, अभिभाषक, अपीलार्थी

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 8/11/17 को पारित)

अपीलार्थी द्वारा यह अपील म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 44 के अंतर्गत आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 12–5–15 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी द्वारा कलेक्टर, हरदा के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम रोलगांव तहसील हरदा स्थित सर्वे कमांक 12/4 वर्तमान सर्वे कमांक 11 रकबा 3.00 एकड़ भूमि भूदान यज्ञ के अन्तर्गत प्रदान की गई थी । वर्तमान में भूदान यज्ञ प्रयोजन समाप्त हो गया है, अतः प्रश्नाधीन भूमि पर उसका नाम दर्ज किया जाये । कलेक्टर द्वारा प्रकरण कमांक 27/बी–121/2013–14 दर्ज कर दिनांक 2–1–2014 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमि शासन में निहित किये जाने के आदेश दिये गये । कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर आयुक्त द्वारा दिनांक 12–5–2015 को

आदेश पारित कर कलेक्टर का आदेश स्थिर रखते हुए अपील निरस्त की गई । आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) कलेक्टर द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का अवसर नहीं दिया गया है और न ही पटवारी के प्रतिपरीक्षण का अवसर दिया गया है ।

(2) प्रश्नाधीन भूमि भूदान यज्ञ में दान देने के पूर्व दानदाता चम्पालाल के नाम दर्ज थी और मृत्यु पर्यन्त उसके आधिपत्य में बनी रही, तत्पश्चात अपीलार्थी का निरन्तर कब्जा चला आ रहा है ।

(3) प्रश्नाधीन भूमि चम्पालाल द्वारा भूदान यज्ञ हेतु दिनांक 18–1–55 को दान में दी गई थी, परन्तु भूदान यज्ञ मण्डल का कभी भी कब्जा नहीं रहा । इस प्रकार प्रतिकूल कब्जे के आधार पर अपीलार्थी को प्रश्नाधीन भूमि पर भूमिस्वामी अधिकार प्राप्त हो गये हैं ।

(4) संहिता की धारा 117 के अन्तर्गत खसरे के कॉलम नम्बर 12 में दर्ज प्रविष्टि का खण्डन नहीं किया गया है तो कब्जेधारी को भूमिस्वामी अधिकार प्राप्त हो जायेंगे और खसरे के कॉलम नम्बर 12 में अपीलार्थी का कब्जा दर्ज है, जिस पर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा कोई विचार नहीं करने में भूल की गई है ।

(5) सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 की धारा 122 के अन्तर्गत बिना प्रतिफल के दानदाता द्वारा दान दिया जाता है और यदि प्रतिग्रहण करने से पहले अदाता की मृत्यु हो जाती है तो दान शून्य हो जाती है । इस प्रकरण में भी भूदान यज्ञ मण्डल द्वारा कब्जा नहीं लिये जाने के कारण दान शून्य माना जायेगा ।

(6) सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 की धारा 123 के अन्तर्गत पंजीकृत विलेख से ही सम्पत्ति अन्तरण किया जा सकता है, मौखिक दान नहीं किया जा सकता है ।

तर्कों के समर्थन में (2004) 10 एस.सी.सी. 779, 2002 आर.एन. 134 (उच्च न्यायालय), 1989 आर.एन. 24 (उच्च न्यायालय), 1990 (II) एम.पी.डब्ल्यू.एन. नोट 8, 2011 आर.एन. 235, 1990 आर.एन. 345 (उच्च न्यायालय), 2002 आर.एन. 446 (उच्च न्यायालय), 2002 आर.एन. 295 (उच्च न्यायालय) 2012 (1) एम.पी.एल.जे. 593 (उच्च

न्यायालय), आई.एल.आर. 50 मद्रास 193, ए.आई.आर. 1954 इलाहाबाद 595 एवं 1997 आर.एन. 121 के न्याय दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये ।

4/ अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । दानदाता द्वारा एक बार भू दान अधिनियम के अन्तर्गत शासन को भूमि दान में देने के पश्चात् दानदाता के स्वत्व समाप्त हो जाते हैं । भूदान अधिनियम अथवा संहिता में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि एक बार भूमि शासन को दान में देने के पश्चात् दानदाता की मृत्यु के उपरांत शासकीय भूमि पुनः दाना दाता के वारिसों को वापिस की जाये । स्पष्ट है कि कलेक्टर द्वारा पारित आदेश पूर्णतः वैधानिक एवं उचित आदेश है जिसकी पुष्टि करने में आयुक्त द्वारा किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है इसलिये आयुक्त का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 12–5–15 स्थिर रखा जाता है । अपील निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर